(6)

सर्वोच्च प्राथमिकता/अति महत्वपूर्ण

पत्र सं0-स्था-3(ख)-वाहन चालक संवर्ग ज्येष्ठता सूची //2022-23// 4787 // राज्य कर,

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश

(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 31, जनवरी, 2023

समस्त उपायुक्त(प्रशासन)/ सहायक आयुक्त(ए)

आहरण वितरण अधिकारी राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-624/11-3-2018-103/2017 दिनॉक 24-04-2018 द्वारा मनोरंजन कर विभाग में कार्यरत राजपत्रित एवं अराजपत्रित श्रेणी के कार्मिकों की अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश में संविलियन किया गया है। तत्क्रम में शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-946/11-03-2022-103/2017 टी0सी0 दिनॉक 21-07-2022 द्वारा मनोरंजन कर विभाग के कर्मचारियों (अधिकारियों, निरीक्षकों और अन्य कर्मचारियों) के सेवा संवर्ग का वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश के सम्बन्धित संवर्गों में संविलियन नियमावली, 2022 लागू की गयी है।

उक्त के क्रम में शासन द्वारा संविलियन नियमावली, 2022 जारी होने के उपरान्त दोनों विभागों के वाहन चालक संवर्ग के कार्मिकों की समेकित ज्येष्ठता सूची किया जाना प्रस्तावित है। अतः ज्येष्ठता सूची जारी किये जाने के सम्बन्ध में निम्न प्रारुप में सूचना एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

//प्रारुप//

पूर्व मनोरंजन कर विभाग में कार्यरत एवं से0नि0 वाहन चालकों का दिनॉक 31-12-2022 तक नियुक्त वाहन चालक संवर्ग कार्मिकों की सूचना:-

क्र0स0	ज्येष्ठता क्रमांक	वाहन चालक का नाम	आरक्षित श्रेंणी	जाति एवं उपजाति	पिता का नाम	जन्म तिथि	गृह जनपद
1	2	3	4	5	6	7	8

नियुक्ति की तिथि	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	स्थाईकरण की तिथि	सेवानिवृत्त की तिथि	वर्तमान पद नाम/ ग्रेड(ग्रेड वाईज)	वर्तमान तैनाती का स्थान/जोन	दिनॉक 24-04-2018 को प्राप्त ग्रेड पे	अन्य विवरण
9	10	11	12	13	14	15	16

भवदीय

(वीरेन्द्र कुमार)
उपायुक्त (स्था0 अराज0) राज्य कर,
मुख्यालय लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनॉक उक्त।

प्रलिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- समस्त जोनल अपर आयुक्त,राज्य कर उत्तर प्रदेश।

2- अपर निदेशक राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान,गोमती नगर,लखनऊ।

3- समस्त संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक)राज्य कर उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना निर्धारित प्रारुप में समयान्तर्गत मुख्याल को उपलब्ध कराने हेतु संम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करे।

4- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0)राज्य कर,मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करे।

5- सहायक आयुक्त (पूर्व मनोरंजन कर विभाग) राज्यकर मुख्यालय/जवाहर भवन लखनऊ।

उपायुक्त (स्था0 अराज0) राज्य कर,
मुख्यालय लखनऊ।